

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत, डेह
पीठासीन अधिकारी-सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

आदेश

राजस्व लोक अदालत अभियान
म्याग आपको द्वार-2018

मु.सं. 114 / 2017

आदेश दिनांक 07.05.2018

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र अधिन धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कराये गये दस्तावेज के आधार व तहसीलदार जायल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मय अभिशंका के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम....

खेड़ा हीरावाल
2070 से 2073
रिकॉर्ड में अमल

तहसील जायल जिला नागौर की जमाबंदी खाता सं. 37.....संवत्. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्र सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खेड़ा हीरावाल	37	कराया म पि बच्चन सिंह	कराया म पि बच्चन सिंह



क्रमांक : 2018

प्रतिलिपि:

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी कारील
जायल, जिला नागौर

दिनांक : 07.05.2018

1. तहसीलदार जायल, को भेजकर आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाएँ।
2. प्रार्थी कराया म पि बच्चन सिंह निवासी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली ।

खेड़ा हीरावाल

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर